संख्या– /XVIII(II)/2018–18(17)/2017

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 अप्रैल, 2018

विषयः–जनपद चमोली में "नमामि गंगे" कार्यक्रम आई0 एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 योजना के अर्न्तगत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–6741/पांच–302 रा0प0–2018, दिनांक 13 मार्च, 2018, पत्र सं0–6742/पांच–303 रा0प0–2018, दिनांक 13 मार्च, 2018 तथा पत्र सं0–6768/ पांच–302 रा0प0–2018, दिनांक 14 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली में "नामामि गंगे" कार्यक्रम आई0एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 योजना के अर्न्तगत **कॉलम–2 में अंकित स्थानों के कॉलम–3 पर प्रस्तावित भूमि** को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांक–15–02–2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)/2015/2014, दिनांक–09–07–1015 तथा शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0 सं0	स्थान	प्रस्तावित खसरा/रकवा संख्या–
1	2	3
1.	जनपद, चमोली तहसील, कर्णप्रयाग में ग्राम भेड़गांव, पुलिस चौकी के पास, सुभाषनगर में गधेरे के निकट एवं वार्ड नं0–1 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि।	खसरा नं0–23, रकबा 0.444 है0 मध्ये 0.020 है0 भूमि, जो कि ज0वि0र0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि चट्टान के रूप में दर्ज अभिलेख है, सुभाषनगर में गधेरे के पास खसरा नं0–1032 रकबा 0.060 है0 मध्ये 0.020 है0 भूमि, जो कि ज0वि0र0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि रगड़ के रूप में दर्ज अभिलेख है, एवं वार्ड नं0–1 के खसरा सं0–648 रकबा 0.549 है0 मध्ये 0.020 है0 भूमि, जो कि ज0वि0र0 श्रेणी–10(4)

---2

		अन्य कारणों से अकृषित भूमि चट्टान के रूप में दर्ज है अभिलेख है।
2.	जनपद, चमोली तहसील चमोली के स्थान क्षेत्रपाल एवं चमोली में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि।	खसरा नं0–960, रकबा 0.684 है0 मध्ये 0.020 है0 भूमि जो कि ज0वि0र0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है, एवं चमोली के खसरा नं0–1783 रकबा 0.347 है0 मध्ये 0.060 है0 व खसरा संख्या–1677 रकबा 0.315 है0 मध्ये 0.015 है0 भूमि, जो कि ज0वि0र0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है।
3.	जनपद, चमोली तहसील नन्दप्रयाग में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि।	खसरा नं0–595, रकबा 4.413 है0 मध्ये 0.020 है0 भूमि जो कि ज0वि0र0 श्रेणी–10(1) (**नदी के रूप में दर्ज अभिलेख को छोड़कर**) शेष खसरा नं0–1103 रकबा 0.019 है0 एवं खसरा सं0–432 रकबा 1.173 है0 मध्ये 0.020 है0 भूमि जो, कि ज0वि0र0 श्रेणी–9(3)ड़ अन्य कारणों से आकृषित बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है।

(1) नमामि गंगे योजना के अर्न्तगत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु दी जा रही भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगी।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष (सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण) के लिये किया जायेगा, जिसके लिए प्रश्नगत अनुमति प्रदान की जा रही है।

(3) भू–उपयोगिता के क्रम में शासन/जिलाधिकारी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(4) इस भूमि का उपयोग नमामि गंगे योजना के उद्धेश्यों से इत्तर नहीं किया जायेगा।

(5) भूमि का उपयोग 03 वर्ष के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 364/XVIII(II)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

...3

4— परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर, चमोली।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।